सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 396 राँची, सोमवार, 25 अगस्त, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त, 2025

संख्या-एल0जी0-01/2025-35/लेज०,--झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-01/08/2025 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

१ कारखाना (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2025

(झारखण्ड अधिनियम- 08, 2025)

कारखाना प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कामगारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

यह भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियमित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:-

(i) यह अधिनियम कारखाना (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका प्रसार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

2. **1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं0-63 की धारा 66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) के परंतुक (Proviso) का संशोधन- कारखाना अधिनियम, 1948** (1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं0-63) के झारखण्ड राज्य में लागू होने के निमित्त इसकी धारा-66 के उप धारा (1) के खण्ड (b) में विद्यमानः-

''परंतुक राज्य सरकार गजट अधिसूचना के द्वारा इस संदर्भ में किसी कारखाने अथवा समूह अथवा वर्ग के कारखाने के लिये खण्ड (b) में दिये गये अवधि में परिवर्तन कर सकता है लेकिन इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन महिलाओं के नियोजन को रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि हेतु प्राधिकृत नहीं करेगा।''

के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जायेगा।

''किसी कारखाना प्रतिष्ठान में नियोजित महिला श्रमिकों को उनकी सहमति (Consent) से संध्या 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक की अवधि में नियोजित किया जा सकेगा, बशर्ते कि सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तें हों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली कोई अन्य शर्त हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।''

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त, 2025

संख्या- एल0जी0-01/2025-36/लेज०--झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-01/08/2025 को अनुमत कारखाना (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2025 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE FACTORIES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2025
(Jharkhand Act- 08, 2025)

An Act to allow female workers to work even between the hour of 7.00 p.m. and 6.00 a.m., to amend Factories Act, 1948 in its application to the State of Jharkhand.

Be enacted by the Jharkhand State Legislative in the 76th year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.-**

(i) This Act may be called the Factories (Jharkhand Amendment) Act, 2025.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(iii) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of the existing proviso of Clause (b) of Sub-Section (1) of Section 66, Central Act No. 63 of 1948** – In clause (b) of Sub-Section (1) of Section 66, of the Factories Act, 1948 (Central Act No.63 of 1948), in its application to the State of Jharkhand, herein after referred to as the Principal Act, existing proviso,

"Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, in respect of [any factory or group or class or description of factories] vary the limits laid down in clause (b), but so that no such variation shall authorize the employment of any woman between the hours of 10 p.m. and 5 a.m."

Shall be substituted by the proviso

"Provided that, the women workers may be required or allowed to work, with their consent between the hours of 7.00 p.m. and 6.00 a.m. in any factory, subject to such conditions relating to safety, holidays and working hours or any other condition to be observed by the employer as may be prescribed by the State Government.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 396 - 50